

BY;

Dr. Suchitra Devi

Associate Prof.

N.A.S College

M.Ed. IV Semester

Paper CC14

Unit: III

***Topic: Central and State Machinery for
Educational Administration***

परिशिष्ट 2

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्

(NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND
TRAINING—NCERT)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, जो एक स्वायत्त संगठन है, सितम्बर, 1961 में कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिये स्थापित की गई थी। यह कूली शिक्षा तथा शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में नीतियों और वृहत कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सरकार के लिये शैक्षिक सलाहकार का कार्य करती है। इसमें निम्नलिखित को सदस्यता प्राप्त है—

1. भारत सरकार का शिक्षा-परामर्शदाता,
2. दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति,
3. विश्वविद्यालय अनुदान का चेयरमैन,
4. प्रत्येक राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि,
5. भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य।

इस परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।—

1. विद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना।
2. विद्यालय-शिक्षकों के लिये उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
3. शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना।
4. विद्यालयों में उन्नत शैक्षिक प्रविधियों एवं व्यवहारों को लागू करना।
5. विद्यालय-शिक्षा से सम्बन्धित मामलों में विचारों तथा सूचनाओं के लिये एक निकासीगृह (Clearing house) के रूप में कार्य करना।

परिषद् अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (National Institute of Education—NIE) नई दिल्ली, केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली (Central Institute of Educational Technology—CIET), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा सेण्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ़ वोकेशनल एजुकेशन (Pandit Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational Education—PSSCIVE), भोपाल, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों (Regional Colleges of Education—RCE) तथा सम्पूर्ण देश में, अधिकतर राज्यों की राजधानियों में स्थित 17 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित विभिन्न संघटकों के माध्यम से अनुसन्धान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार तथा शैक्षिक नवाचारों के प्रसार आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों को संचालित करती है। परिषद् निम्नलिखित उत्क्रमित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है—

(अ) प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण (Universalization of Elementary Education)—
परिषद् इस क्षेत्र में अग्रान्वित कार्य कर रही है—

1. परिषद् प्रारम्भिक शिशु देख-रेख एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education—ECCE) से सम्बन्धित कार्यक्रमों को संचालित कर रही है। इसमें निम्नांकित कार्यों पर बल दिया गया—

- (i) खेल-खेल में शिक्षा के दृष्टिकोण से भाषा, गणित तथा पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययनों में 'कार्यकलाप पुस्तिका' तथा 'प्रारम्भिक शिशु-शिक्षा' पर शिक्षकों की एक मार्गदर्शिका तैयार की।
- (ii) 'लोक खिलौनों के माध्यम से विज्ञान का शिक्षण' का प्रकाशन कराया।
- (iii) 'चीयर' (Cheer) परियोजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये 'फूल-बगिया खण्ड III' तथा 'किलकारी खण्ड VII' का प्रकाशन कराया।
- (iv) बाल विकास परियोजना अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- (v) न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum Levels of Learning—MLL) कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 4 तथा 5 के लिए शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश तैयार किये।
- (vi) शिक्षकों की दक्षता में विकास के दृष्टिकोण से बच्चों, शिक्षकों तथा चयनित दो शिक्षकों वाले स्कूलों की स्थिति का अध्ययन कराया।
- (vii) अनुसूचित जातियों की शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों के लिए उन्हें अनुसूचित जातियों की शिक्षा की बाधाओं और समस्याओं से अवगत कराने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया।
- (viii) परिषद् जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (District Primary Education Programme—DPEP) की परियोजना के लिए चयनित राज्यों को शैक्षिक परामर्श प्रदान करती है।
- (ix) गैर-औपचारिक शिक्षा (Non-formal Education) कार्यक्रम के लिए समृद्ध सामग्री तैयार कराना।
- (x) भाषा और गणित में गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए शिक्षण-सामग्री का विकास किया।

(ब) महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा (Education for Women's Equality)—परिषद् इस क्षेत्र में निम्नांकित कार्य कर रही है—

- (i) प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तरों पर शिक्षकों के हैण्डबुक तैयार करना।
- (ii) महिलाओं की शिक्षा एवं विकास की प्रणाली विज्ञान पर प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार करना।
- (iii) 'लड़कियों तथा वंचित वर्गों की प्राथमिक शिक्षा की प्रोन्नति' नामक परियोजना का संचालन।

(स) शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया का पुनः प्रबोधन (Reorientation of content and process of education)—परिषद् इस क्षेत्र में निम्नांकित कार्य कर रही है—

- (i) 'स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक विज्ञानों में पाठ्यचर्या का अध्ययन स्तर' के अन्तर्गत सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कराया।
- (ii) 'राष्ट्रीय एकता के आधार बिन्दु से पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन कराया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत असम, तमिलनाडु तथा राजस्थान की पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन किया गया।
- (iii) माध्यमिक शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या की स्थिति का अध्ययन कराया।
- (iv) प्राथमिक विज्ञान किट, समेकित विज्ञान की कुछ अन्य किटों को तैयार कराया।
- (v) विज्ञान तथा गणित के शिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों (District Institutes of Teacher Education—DIET) तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के संसाधित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजन किया।

(द) प्रतिभा खोज (Talent Search)—परिषद् राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (National Talent Search) के लिए परीक्षा का आयोजन करती है। साथ ही छात्रों के चयन के लिए साक्षात्कारों का भी

(य) **शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)**—परिषद् ने सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए व्यापक कार्यकलापों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षक तथा शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री का विकास किया।

(र) **शिक्षा का व्यवसायीकरण (Vocationalization of Education)**—शिक्षा के व्यवसायीकरण के महत्व को समझते हुए मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (NIE) के व्यावसायिक शिक्षा विभाग के स्तर को उन्नत बनाकर केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (CITE) का भोपाल में गठन किया। वाणिज्य आधारित व्यावसायिक पाठ्यचर्या का पुनर्गठन एवं संशोधन किया गया। राज्य कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किये गये। उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके माध्यम से उन्हें व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा, दर्शनशास्त्र तथा अन्य पहलुओं से अवगत कराया गया।

(ल) **शैक्षिक प्रौद्योगिकी (Educational Technology)**—इस क्षेत्र में परिषद् ने निम्नलिखित कार्य किये हैं—

- (i) 'क्लासरूम 2000+ के तहत उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दूरस्थ अध्ययन के लिए पारम्परिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन' के सम्बन्ध में शिक्षा पर इण्डो-यू. एस. उप-आयोग के अन्तर्गत परियोजना प्रारम्भ की।
- (ii) हिन्दी तथा गुजराती में 70 ई. टी. वी. कार्यक्रम तैयार किये गये।
- (iii) उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए रसायन विज्ञान में प्रदर्शन पाठों पर वीडियो फिल्मों का विकास किया गया।

(व) **शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार (Educational Research and Inno-vations)**—शैक्षिक अनुसन्धान और नवाचार समिति (Educational Research and Innovation Committee—IRIC) ने शिक्षक शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसन्धान परियोजनाओं को संचालित किया है। साथ ही इसने पाँचवें अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं नवाचार सर्वेक्षण परियोजना के अन्तर्गत अनुसन्धान एवं नवाचारों के सारांशों की सूची को सम्पादित किया है। यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त नवाचारों पर सूचनाएँ भी एकत्रित करती है। यह समिति प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण, शिक्षा के व्यावसायिक तथा पाठ्यक्रम विकास से सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुसन्धान कार्य करा रही है—

1. पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तक निर्माण।
2. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना।
3. विज्ञान-किट।
4. शैक्षिक सर्वेक्षण कार्य।
5. व्यवसायीकरण से सम्बन्धित कार्यक्रम।
6. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य से सम्बन्धित निर्देशक सामग्री।
7. अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से सम्बन्धित कार्यक्रम।
8. पूर्व बाल्यकालीन शिक्षा (Early Childhood Education)।
9. युवकों के लिए निरौपचारिक/अनौपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा (Non-formal Education for Youth)।
10. राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम।
11. संगणक शिक्षा (Computer Education)।
12. मूल्य-शिक्षा (Value Education)।
13. स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावरणीय स्वच्छता (Health Education and Environmental Sanitation)।

(श) प्रकाशन एवं प्रसार (Publication and Dissemination)—स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य-पुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, शिक्षकों के लिए गाइडों, सप्लीमेण्टरी रीडर्स, अनुसन्धान विनिबन्धों (Research Monographs) आदि के प्रकाशन के अतिरिक्त परिषद् निम्नांकित पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करती है—

1. इण्डियन एजुकेशन रिव्यू (त्रैमासिक),
2. प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक),
3. जनरल ऑफ इण्डियन एजुकेशन (द्वि-मासिक),
4. स्कूल साइंस (त्रैमासिक),
5. प्राइमरी शिक्षक (हिन्दी में प्रकाशित त्रैमासिक),
6. भारतीय आधुनिक शिक्षा (हिन्दी में प्रकाशित त्रैमासिक)।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION—AICTE)

इस परिषद् की स्थापना 'सरकार समिति' (Sarkar Committee) की सिफारिश पर 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई। इसको 1987 के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम संख्या 52 द्वारा संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। अधिनियम 28 मार्च 1988 से लागू हुआ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मुख्य कार्यों में देश में तकनीकी शिक्षा की उपयुक्त योजना व समन्वित विकास पद्धति की योजनागत गुणात्मक वृद्धि तथा विनियमन के सम्बन्ध में सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधारों तथा मानदण्डों व स्तरों का अनुरक्षण (Maintenance) शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार परिषद् के निम्नांकित कार्य हैं—

1. तकनीकी शिक्षा का नियोजन,
2. स्तरों तथा मानदण्डों का निर्धारण एवं अनुरक्षण,
3. प्रत्यापन (Accreditation),
4. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए वित्तीय व्यवस्था,
5. अनुश्रवण (Monitoring) तथा मूल्यांकन,
6. प्रमाणन (Certification),
7. उपाधियों की समकक्षता का निर्धारण तथा
8. तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित करना।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्

(NATIONAL COUNCIL OF TEACHER EDUCATION—NCTE)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् को शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को प्रत्यापित करने तथा पाठ्यचर्या व पद्धतियों के बारे में भाग लेते हैं और विशेषतः विज्ञान के शिक्षकों के लिए ग्रीष्म संस्थान (Summer Institute) चलाते हैं।

परिशिष्ट 3

राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एस. सी. ई. आर. टी.) (STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING SCERT)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर वही कार्य एस. सी. ई. आर. टी. द्वारा किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान तथा एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा निश्चित किये जाते हैं, उन्हें प्रत्येक राज्य अपने भौगोलिक स्थिति, आवश्यकता तथा प्राप्त संसाधनों के अनुकूल अपनाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पुस्तक की रचना की गई। राज्य स्तर पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ उस पुस्तक के कुछ पाठ आवश्यकतानुसार बदलकर अपने प्रदेश के लिए नई पाठ्य पुस्तक बनाकर प्रकाशित कर रहे हैं। इसी प्रकार एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा आदर्श परीक्षा के सिद्धान्त, लक्ष्य तथा प्रश्न-पत्र के किये जाने के उपरान्त राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की परीक्षा एकक के रूप में अपने राज्य में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक तथा पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रश्न-पत्र की रचना की जाती है।

राज्य स्तर पर शिक्षा में अनुसंधान तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रदेश तथा शिक्षित क्षेत्र में एस. सी. ई. आर. टी. की स्थापना की गई है। जिस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एन. सी. ई. आर. टी. का प्रमुख घटक है, उसी प्रकार राज्य शिक्षा संस्थान (State Institute of Education) राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्य करता है। यहाँ राज्य के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। विभिन्न विषयों के लिए पाठ्य पुस्तक का लेखन तथा प्रकाशन किया जाता है। प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ विषय अध्यापन के लिए शिक्षण संस्थानों का निर्माण करते हैं तथा अध्यापकों की शिक्षा हेतु नवीकरण पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करते हैं। विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में यह संस्था विशेष रूप से कार्य करती है।

एस. सी. ई. आर. टी. अपने राज्य की आवश्यकतानुसार नये विभाग खोलकर उनके विशेषज्ञ प्रशिक्षण करता है। उदाहरण के लिए जनजातियों (Tribals) की अधिक आबादी वाले प्रदेश में उनकी शिक्षा हेतु एक अलग एकक निर्मित किया जा सकता है जहाँ जनजातियों को पढ़ना-लिखना, लिखने तथा शिक्षित करने के कार्यक्रम की योजना बनाई जा सकती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में शोध प्रशिक्षण किया जाता है।

राज्य के शिक्षकों को नवीन अनुसंधानों तथा शिक्षण-विधियों से परिचित कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों से शिक्षकों को बुलाकर प्रशिक्षित किया जाता है। इन अध्यापकों को विषय से सम्बन्धित राष्ट्रीय-निर्माण का अभ्यास भी कराया जाता है। नई शिक्षा नीति (1986) के अन्तर्गत प्रस्तावित अनेक विषय, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, बाल केन्द्रित शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या शिक्षा, कार्य-सुमेल, शिक्षण में सहायक साधन तथा विभिन्न विषयों की शिक्षा आदि के नवीकरण हेतु शिक्षक-विकास में दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। पहले राष्ट्रीय शिक्षा

संस्थान तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के विशेषज्ञों ने राज्य शिक्षा संस्थान के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। पुनः इन प्रशिक्षित व्यक्तियों ने प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षाधिकारी तथा प्रधानाचार्य को प्रशिक्षित कर शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण कराया। एस. सी. ई. आर. टी. के विशेषज्ञों को इनके संचालन तथा क्रियान्वयन का सम्पूर्ण भार सौंपा गया है। भारत सरकार की योजना के अनुसार इस प्रकार के ग्रीष्मावकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम तब तक चलाए जाते रहेंगे जब तक कि सभी अध्यापक प्रशिक्षित नहीं हो जाते हैं।

एन. सी. ई. आर. टी. के द्वारा अनुसंधान किये गये शैक्षिक महत्व के विचार तथा कार्य को देश के कोने-कोने में पहुँचाने का कार्य यह संस्थान ही संपादित करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाशास्त्रियों की विचारधारा के अनुरूप स्कूली शिक्षा के विकास तथा प्रचार का कार्य सम्पूर्ण देश में सरलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है। एस. सी. ई. आर. टी. मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर के विद्यालय तथा शिक्षकों के लिए ही कार्य करता है।

